बिहार सरकार

<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

अधिसूचना

दिनांक :–

04/वी0मु0–20–190/24–................................/एम०, खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या–2645, दिनांक–14.09.2020 द्वारा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–38 (3) में संशोधन करते हुए खनन की गहराई समीपवर्ती जमीन स्तर से डेढ़ मीटर से अधिक नहीं होने की स्थिति में ईंट भट्ठा के उद्देश्य से ईंट मिट्टी के उत्खनन को खनन गतिविधि नहीं मानने, पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होने का प्रावधान शामिल किया गया था।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-11181/2021 अभय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–07.03.2024 को आदेश पारित करते हुए अधिसूचना संख्या–2645, दिनांक–14.09.2020 को निरस्त कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर **SLP No.-14272/2024** को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–22.07.2024 के आदेश से अपील को खारिज कर दिया गया है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–07.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निम्नवत् निदेश जारी किये जाते है :–

i. खान एवं भूतत्व विभाग की अधिसूचना संख्या–3174, दिनांक–17.09.2019 से प्रख्यापित बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–38 (3) प्रभावी होगा।

ii. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अद्यतन अधिसूचना/दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवश्यक पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ही ईंट भट्ठा के उद्देश्य से मिट्टी का उत्खनन किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव

ज्ञापांकः–04/वी0मु0–20–190/24–................../एम0, पटना, दिनांकः–.....................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव (ई–गजट कोषांग), वित्त विभाग को सी0डी0 सहित प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाए।

ह0/–
सचिव

ज्ञापांकः–04/वी0मु0–20–190/24–................../एम0, पटना, दिनांकः–.....................

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता/ सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव

P.T.O.

ज्ञापांकः—04 / वी0मु0—20—190 / 24—3678 / एम0, पटना, दिनांकः—03/09/24

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सचिव कोषांग/ निदेशक कोषांग/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव 31/08/24